

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा
(प्रशासन गाँवों के संग अभियान - जहाजपुर)

प्रकरण संख्या / 473/22

दिनांक :- 19/5/22

उनवान
श्री. गोपी पुत्र खुमा देगा
नि. रायपुरिया
बनाम सरकार जरिये तहसीलदार
जहाजपुर जिला भीलवाडा

:: आदेश ::

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज,
पटवारी हल्का आमला भू. अ. नि. करण एवं तहसीलदार जहाजपुर की
रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत
ग्राम भैरु खेड़ा प. ह. आमला की वर्तमान जमाबन्दी
सम्बत 2071-79 के खाता संख्या 23 में प्रार्थीगण की
प्रविष्टि गो.पी पुत्र खुमा बोला के स्थान पर
गोपी पुत्र खुमा देगा राजस्व
रिकॉर्ड में दर्ज करने आ आदेश जारी किया जाता है। तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल
कर पालना प्रस्तुत की जाये।

tu
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थी श्री गोपी पुत्र खुमा देगा नि. रायपुरिया
3. रक्षित पत्रावली

tu
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला भीलवाडा